[2016] 4 उम. नि. प. 161

मुथुरामलिंगम और अन्य

बनाम

राज्य मार्फत **पुलिस निरीक्षक**

19 जुलाई, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति फकीर मोहमद इब्राहिम कलीफुल्ला, न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति आर. बानुमती

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 31 और 427 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300] – कई हत्याएं कारित करने के लिए आजीवन कारावास के विभिन्न दंडादेश – दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश दिया जाना – यह विधिक स्थिति भली-भांति सुस्थिर होते हुए कि आजीवन कारावास से विवक्षित अपराधी के शेष बचे जीवन के लिए कारावास होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शेष कारावास का लघुकरण या परिहार नहीं किया जाता, इसलिए आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे उस वास्तविकता की अनदेखी होगी कि मानव के पास अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह ही जीने के लिए केवल एक जीवन होता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 31 और 427 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300] – कई हत्याएं कारित करने के लिए आजीवन कारावास के विभिन्न दंडादेश – दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश दिया जाना – अनेक हत्याओं या आजीवन कारावास से दंडनीय अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास के अनेक दंडादेश अधिनिर्णीत किए जा सकते हैं, किंतु इस प्रकार अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश नहीं दिया जा सकता है, तथापि, ऐसे दंडादेश एक-दूसरे के ऊपर अधिरोपित होंगे ताकि एक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त किसी परिहार या लघुकरण का फायदा कैदी को अन्य मामले में दिए गए दंडादेश के लिए स्वतः प्राप्त न हो सके ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 31 और 427 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300] – कई हत्याएं कारित करने के लिए

आजीवन कारावास के साथ-साथ अन्य अवधि के दंडादेश अधिनिर्णीत किया जाना – दंडादेशों के चलने के क्रम का निदेश देने की न्यायालय की शक्ति – न्यायालय विधिसम्मत रूप से यह निदेश दे सकता है कि कैदी अपना आजीवन कारावास प्रारंभ होने से पूर्व पहले आवधिक दंडादेश भुगतेगा, तथापि, इसके प्रतिकूल स्थिति सही नहीं हो सकेगी क्योंकि यदि न्यायालय आजीवन कारावास को पहले आरंभ होने का निदेश देता है तो इससे आवश्यक रूप से यह विवक्षित होगा कि आवधिक दंडादेश साथ-साथ चलेगा, क्योंकि एक बार जब कैदी अपना जीवन कारागार में बिता देता है तो उसके द्वारा कोई और दंडादेश भुगतने का प्रश्न ही नहीं है ।

अपीलार्थियों का विचारण एक ही घटना में उनके द्वारा अभिकथित रूप से की गई कई हत्याओं के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध सहित विभिन्न अपराधों के लिए किया गया था । वे दोषी पाए गए और वे उनके द्वारा कारित की गई प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास के दंडादेश सहित विभिन्न दंडादेशों से दंडादिष्ट किए गए और प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश क्रमवर्ती रूप से चलने का निदेश दिया गया । परिणामतः, अपीलार्थियों को ऐसे दो से आठ क्रमवर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश भुगतने थे । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और क्रमवर्ती आजीवन कारावास अधिनिर्णीत करने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में फाइल की गई दांडिक अपीलें असफल रहने पर अपीलार्थियों ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों और आदेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । जब अपीलें सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष आईं, तो अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अपनी चुनौती विचारण न्यायालय द्वारा जारी किए गए इस निदेश और उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस अभिपुष्टि तक सीमित रखी कि प्रत्येक अपीलार्थी को उनके द्वारा अभिकथित रूप से कारित की गई कई हत्याओं के लिए अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे न कि साथ-साथ । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31 के निबंधनों के अनुसार अपीलार्थियों को उनके द्वारा अभिकथित रूप से कारित की गई विभिन्न हत्याओं के लिए अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेश साथ-साथ चल सकते हैं न कि क्रमवर्ती । अपील की सुनवाई कर रही न्यायपीठ ने इस न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर अपनाए गए दृष्टिकोणों में विरोध देखते हुए कि क्या आजीवन कारावास के क्रमवर्ती दंडादेश वैध रूप से अनुज्ञेय हैं, एक प्रामाणिक निर्णय

द्वारा विरोध को सुलझाने के लिए इस मामले को पांच न्यायाधीशों से बनी बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष रखे जाने का निर्देश किया । उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों से बनी न्यायपीठ द्वारा निर्देश का उत्तर देते हुए,

अभिनिर्धारित – यह विधिक स्थिति भली-भांति सुस्थिर है कि आजीवन कारावास अपराधी के शेष जीवन के लिए कारावास होता है, जब तक कि वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शेष कारावास का लघुकरण या परिहार नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के उपबंधों का ऐसा निर्वचन किया जाना चाहिए जिससे कि यह इस मूलभूत सिद्धांत के संगत हो कि आजीवन कारावास में अपराधी से यह अपेक्षित होता है कि वह अपना शेष जीवन कारागार में बिताए । ऐसा कोई निदेश जिसमें अपराधी से एक के बाद दूसरा आजीवन कारावास भुगतने की अपेक्षा की जाती है, वह असंगत और अविवेकी होगा, क्योंकि इससे उस वास्तविकता की अनदेखी होगी कि मानव के पास अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह ही जीने के लिए केवल एक जीवन होता है । धारा 31(1) को इस प्रकार समझने पर दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने की अनुज्ञा केवल तभी होगी यदि ऐसे दंडादेश आजीवन कारावास नहीं हैं । इस न्यायपीठ की राय में, केवल यही एक तरीका है जो किसी कैदी को दो क्रमवर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश भोगने की स्पष्ट संभाव्यता से बचा सकता है । (पैरा 17)

प्रस्तुत मामलों में अपीलार्थी उनके द्वारा अनेक हत्याएं कारित करने के समय आजीवन कारावास भुगत रहे सिद्धदोष व्यक्ति नहीं थे । इसलिए उनके मामले अधिक समुचित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के अंतर्गत आते हैं जो एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में है । धारा 31(1) में, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय को ऐसे अपराधों के लिए विहित दंड अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त किया गया है और यह आज्ञापक किया गया है कि जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों तब, यदि न्यायालय ने यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे । अपराधियों द्वारा कारित किए गए कई अपराधों के लिए उपयुक्त दंडादेश देने की शक्ति विवादग्रस्त नहीं है और न ही की जा सकती है । न्यायालय द्वारा ऐसे दंडादेश अधिनिर्णीत करते समय वह क्रम, जिसमें ऐसे दंडादेश भोगे जाएंगे, अनुबंधित किया जा सकता है । इसी प्रकार न्यायालय अपने विवेक से यह निदेश देने के लिए भी सक्षम है कि अधिनिर्णीत दंडादेश साथ-साथ भोगे

जाएंगे न कि क्रमवर्ती । तथापि, प्रश्न यह है कि क्या इस उपबंध के अधीन क्रमवर्ती भोगे जाने वाला एक से अधिक आजीवन कारावास दिया जा सकता है । इस प्रश्न का उत्तर तर्कसंगत आधार पर केवल तभी दिया जा सकता है जब इस वास्तविकता को स्वीकार किया जाए कि मानवों के पास केवल एक जीवन होता है और एक बार दिया गया आजीवन कारावास का दंडादेश कैदी से यह अपेक्षा करता है कि वह अपना शेष जीवन कारागार में बिताए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडादेश का परिहार या लघुकरण नहीं कर दिया जाता है । इस न्यायालय की राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427(2) में यह जो आज्ञापक किया गया है कि यदि पहले से ही आजीवन कारावास भुगत रहे कैदी को किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक अन्य आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है तो इस प्रकार अधिनिर्णीत दोनों दंडादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे न कि क्रमवर्ती, इसके पीछे यही तर्क है । धारा 427(2) में इस रीति में धारा 427(1) में मान्यताप्राप्त इस साधारण नियम का अपवाद उपबंधित है कि किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि पर अधिनिर्णीत दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । धारा 427(2) के उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि वह विसंगति पूरी तरह से संसद् के संज्ञान में थी जो आजीवन कारावास भुगत रहे किसी सिद्धदोष कैदी को दूसरी बार आजीवन कारावास भुगतने का निदेश देने पर उद्भूत होगी । इसलिए साधारण नियम का एक अपवाद स्पष्ट रूप से यह मान्यता देते हुए उपबंधित किया गया कि पृथक्-पृथक् रूप से विचारित और साबित ठहराए गए दो भिन्न अपराधों के लिए दिए गए आजीवन कारावास के मामले में दंडादेशों का क्रमवर्ती भोगने के लिए निदेश नहीं दिया जा सकता है । धारा 427(2) के उपबंधों के अतिरिक्त, रंजीत सिंह बनाम संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ वाले मामले में इस न्यायालय ने प्रमिततः यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि आजीवन कारावास से सिद्धदोष व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास विवक्षित है, इसलिए क्रमवर्ती आजीवन कारावास अधिनिर्णीत नहीं किया जा सकता है क्योंकि मानवों के पास केवल एक ही जीवन होता है । इस न्यायपीठ के मत में, यह तर्क दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 पर भी विस्तारित होना चाहिए और यह बात मायने नहीं रखती कि धारा 31 में प्रमिततः धारा 427(2) के समरूप कोई उपबंध नहीं है । इस न्यायपीठ की राय में, इस उपबंध का इस प्रकार निर्वचन किया जाना चाहिए जिससे कि किसी विसंगति या तर्कहीनता को निवारित किया जा सके । धारा 31(1) का इस प्रकार निर्वचन किए जाने पर यह अर्थ होना चाहिए कि कैदी द्वारा कारित किए गए कई अपराधों के

लिए न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश नहीं दे) सिवाय वहां के जहां ऐसे दंडादेशों में आजीवन कारावास का दंडादेश सम्मिलित है जो साथ-साथ भोगे जा सकते हैं और भोगे जाने चाहिएं । यह न्यायपीठ यह भी अभिनिर्धारित करना चाहेगी कि यदि कैदी को एक से अधिक आजीवन कारावास के दंडादेश दिए जाते हैं, तो वे एक-दूसरे पर अधिरोपित हो जाएंगे । इससे यह विवक्षित होगा कि यदि कैदी को ऐसे एक दंडादेश के संबंध में कोई परिहार या लघुकरण अनुदत्त किया जाता है तो ऐसे परिहार का फायदा स्वतः दूसरे दंडादेश पर विस्तारित नहीं होगा । (पैरा 20)

यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि इस न्यायालय ने कई अन्य मामलों में कैदी द्वारा कारित किए गए अपराध की नृशंस और पैशाचिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने को निदेश दिए हैं । इन विनिश्चयों से यह अभिनिर्धारित किया गया समझा जा सकता है कि आजीवन कारावास भी क्रमवर्ती चल सकता है और इस सीमा तक ये विनिश्चय सही विधि अधिकथित नहीं करते हैं और उलटे जाते हैं । (पैरा 30)

निष्कर्षतः, यह न्यायालय इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देता है । यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जबकि अनेक हत्याओं या आजीवन कारावास से दंडनीय अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास के अनेक दंडादेश अधिनिर्णीत किए जा सकते हैं, किंतु इस प्रकार अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश नहीं दिया जा सकता है । तथापि, ऐसे दंडादेश एक-दूसरे के ऊपर अधिरोपित होंगे ताकि एक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त कोई परिहार या लघुकरण कैदी को अन्य मामले में दिए गए दंडादेश के लिए स्वतः परिहार न हो सके । (पैरा 31)

यह न्यायपीठ इस मामले से विलग होते हुए इस मामले के एक अन्य आयाम, जिसके बारे में इसके समक्ष दलील दी गई है, पर विचार कर सकती है अर्थात् क्या न्यायालय आजीवन कारावास के दंडादेश और आवधिक दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश दे सकता है या नहीं । इस पहलू पर दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है कि अपीलार्थियों को आजीवन कारावास अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त विभिन्न अवधियों के कारावास के लिए भी दंडादिष्ट किया गया है । विचारण न्यायालय का निदेश, जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है,

यह है कि उक्त आवधिक दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि निदेश का यह भाग भी वैध रूप से तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जब एक बार कैदी को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट कर दिया जाता है, तो उसे दिए गए आवधिक कारावास अवश्य साथ-साथ चलने चाहिएं । तथापि, यह न्यायपीठ ऐसा नहीं मानती । उस क्रम का निदेश करने की न्यायालय की शक्ति, जिसमें दंडादेश चलेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए अचुनौतीपूर्ण है । इसलिए न्यायालय विधिसम्मत रूप से यह निदेश दे सकता है कि कैदी अपना आजीवन कारावास प्रारंभ होने से पूर्व पहले आवधिक दंडादेश भुगतेगा । ऐसा निदेश पूर्णतः विधिसम्मत और धारा 31 के अनुरूप होगा । तथापि, इसके प्रतिकूल स्थिति सही नहीं हो सकेगी क्योंकि यदि न्यायालय आजीवन कारावास को पहले आरंभ होने का निदेश देता है तो इससे आवश्यक रूप से यह विवक्षित होगा कि आवधिक दंडादेश साथ-साथ चलेगा । क्योंकि एक बार जब कैदी अपना जीवन कारागार में बिता देता है तो उसके द्वारा कोई और दंडादेश भुगतने का प्रश्न ही नहीं है । निचले न्यायालय के निदेश में किसी उपांतरण या परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, ऐसा विषय है जिससे इस न्यायपीठ का कोई सरोकार नहीं है । अपीलों की सुनवाई कर रही नियमित न्यायपीठ इस न्यायपीठ ने पूर्वगामी पैराओं में जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी । (पैरा 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 2 एस. सी. सी. 501 : **ओ. एम. चेरियन** उर्फ **थंकचन** बनाम **केरल राज्य और अन्य** ;	4, 7, 9, 21, 22, 28,
[2015]	(2015) 2 एस. सी. सी. 783 : **दुर्योधन राउत** बनाम **उड़ीसा राज्य** ;	4, 8, 9, 21, 24, 26, 28
[2015]	(2015) 13 स्केल 165 : **भारत संघ** बनाम **श्रीहरण** ;	16
[2014]	(2014) 2 एस. सी. सी. 153 : **मनोज** उर्फ **पानु** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	22

[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. 52 : **सनौल्लाह खान** बनाम **बिहार राज्य** ;	5, 29
[2008]	(2008) 13 एस. सी. सी. 767 : **स्वामी शरदानंद** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	16
[2005]	(2005) 5 एस. सी. सी. 194 : **कमलनंथा और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	5, 27, 28 29
[2001]	(2001) 4 एस. सी. सी. 458 : **सुभाष चन्द्र** बनाम **कृष्ण लाल** ;	16
[2001]	(2001) 6 एस. सी. सी. 296 : **श्री भगवान** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	16
[2000]	(2000) 2 एस. सी. सी. 595 : **लक्ष्मण नस्कर** बनाम **भारत संघ** ;	15
[1998]	(1998) 3 एस. सी. सी. 625 : **रोनी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	30
[1996]	(1996) 4 एस. सी. सी. 148 : **रविन्द्र त्रिम्बक चौथमल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	30
[1992]	(1992) 2 एस. सी. सी. 661 : **पंजाब राज्य** बनाम **जोगिन्द्र सिंह** ;	12
[1991]	(1991) 3 एस. सी. सी. 498 : **अशोक कुमार** उर्फ **गोलू** बनाम **भारत संघ** ;	14
[1991]	(1991) 4 एस. सी. सी. 304 : **रंजीत सिंह** बनाम **संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़** ;	18
[1988]	(1988) 4 एस. सी. सी. 183 : **मोहम्मद अख्तर हुसैन** उर्फ **इब्राहिम अहमद भाट्टी** बनाम **सहायक समाहर्ता सीमा-शुल्क (निवारण), अहमदाबाद और एक अन्य** ;	22
[1981]	(1981) 1 एस. सी. सी. 107 : **माडू राम** बनाम **भारत संघ और अन्य** ;	13,18

[1980] [1980] 2 उम. नि. प. 1045 = (1979) 3 एस. सी. सी. 745 :
दलबीर सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 11

[1961] [1961] 3 एस. सी. आर. 440 :
गोपाल विनायक गोडसे बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 10,13,18,24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 231-233 और इसके साथ 2009 की दांडिक अपील सं. 225, 226-227 और 895 तथा 2015 की दांडिक अपील सं. 429.

2006 की दांडिक अपील सं. 323, 328 और 451 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ के तारीख 14 दिसम्बर, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

उपस्थित पक्षकारों की ओर से सर्वश्री ए. टी. एम. रंगारामानुजम, सुब्रमण्यम प्रसाद, ज्येष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ के. के. मणी, (सुश्री) टी. अर्चना, जी. शिवबालमुरुगन, (सुश्री) वंदना, अनीस मोहम्मद, एल. के. पांडे, हितेश कुमार शर्मा, दिपांकर दास, (सुश्री) अनु गुप्ता, रंजीत मराड़, बी. विनोद कन्ना, राघवेंद्र एस. श्रीवास्तव, एम. योगेश कन्ना, जयंत पटेल, उत्कृष श्रीवास्तव, अशमीत सिंह और एम. योगेश कन्ना

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर ने दिया ।

मु. न्या. ठाकुर – इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने हमें निम्नलिखित संक्षिप्त किंतु रोचक प्रश्न निर्दिष्ट किया है :–

"क्या किसी सिद्धदोष व्यक्ति को क्रमबद्ध हत्याओं का दोषी पाए जाने पर, जिनके लिए उसका एक ही मुकदमे में विचारण किया गया

है, क्रमवर्ती आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किए जा सकते हैं ?"

2. यह प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उद्भूत हुआ ।

3. अपीलार्थियों का एक ही घटना में उनके द्वारा अभिकथित रूप से की गई कई हत्याओं के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध सहित विभिन्न अपराधों के लिए विचारण किया गया था । वे दोषी पाए गए और उनके द्वारा कारित की गई प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास के दंडादेश सहित विभिन्न दंडादेशों से दंडादिष्ट किए गए । महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश क्रमवर्ती रूप से चलने का निदेश दिया गया है । इसका परिणाम यह है कि अपीलार्थियों को क्रमवर्ती आजीवन कारावास उनके द्वारा की गई हत्याओं की संख्या पर निर्भर करते हुए ऐसे दो से आठ दंडादेश भुगतने होंगे । दोषसिद्धि और क्रमवर्ती आजीवन कारावास अधिनिर्णीत करने के विरुद्ध फाइल की गई दांडिक अपीलें असफल रहने पर अपीलार्थियों ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों और आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान अपीलें फाइल की हैं ।

4. जब अपीलें सुनवाई के लिए इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष आईं, तो यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अपनी चुनौती विचारण न्यायालय द्वारा जारी किए गए इस निदेश और उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस अभिपुष्टि तक सीमित रखी कि प्रत्येक अपीलार्थी को उनके द्वारा अभिकथित रूप से कारित की गई कई हत्याओं के लिए अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे न कि साथ-साथ । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31 के निबंधनों के अनुसार अपीलार्थियों को उनके द्वारा अभिकथित रूप से कारित की गई विभिन्न हत्याओं के लिए अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेश साथ-साथ चल सकते हैं न कि क्रमवर्ती, जैसा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है । इस दलील के समर्थन में **ओ. एम. चेरियन** उर्फ **थंकचन** बनाम **केरल राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के विनिश्चय और **दुर्योधन राउत** बनाम **उड़ीसा**

---

[1] (2015) 2 एस. सी. सी. 501.

राज्य[1] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलंब लिया गया ।

5. प्रत्यर्थी-तमिलनाडु राज्य की ओर से **कमलनंथा और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] और **सनौल्लाह खान** बनाम **बिहार राज्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के दो अन्य विनिश्चयों का अवलंब यह दलील देने के लिए लिया गया प्रतीत होता है कि किसी सिद्धदोष व्यक्ति को उसके द्वारा कारित की गई विभिन्न हत्याओं के लिए एक से अधिक आजीवन कारावास इस निदेश के साथ अधिनिर्णीत करना वैध रूप से अनुज्ञेय है कि दिए गए ऐसे दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । अपील की सुनवाई कर रही न्यायपीठ ने इस प्रश्न पर कि क्या क्रमवर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश वैध रूप से अनुज्ञेय हैं, इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों में विरोध देखते हुए एक प्रामाणिक निर्णय द्वारा विरोध को सुलझाने के लिए इस मामले को पांच न्यायाधीशों से बनी बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष रखे जाने का निदेश दिया । प्रमिततः, इसीलिए ये अपीलें एक प्रामाणिक निर्णय के लिए हमारे समक्ष रखी गई हैं ।

6. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को पर्याप्त विस्तारपूर्वक सुना । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31, जो एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेशों के संबंध में है, निम्नलिखित प्रकार से है :–

> "31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश – (1) जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है ; जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों तब, यदि न्यायालय ने यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे ।

[1] (2015) 2 एस. सी. सी. 783.
[2] (2005) 5 एस. सी. सी. 194.
[3] (2013) 3 एस. सी. सी. 52.

(2) दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे :

परंतु –

(क) किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा ;

(ख) संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है ।

(3) किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं, एक दंडादेश समझा जाएगा ।"

7. उपरोक्त उपबंध के सावधानीपूर्वक वाचन से यह दर्शित होता है कि यह उपबंध केवल उन मामलों में लागू होता है जहां इन दो आवश्यकताओं का समाधान हो जाता है अर्थात् – (1) जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दोषसिद्ध किया जाता है, और (2) विचारण दो या अधिक अपराधों के लिए हो । इन दोनों शर्तों का समाधान होने पर ही न्यायालय अपराधी को उसके द्वारा कारित किए गए अपराधों के लिए विहित कई दंडों से दंडादिष्ट कर सकता है बशर्ते न्यायालय अन्यथा ऐसे दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो । महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे दंड, जैसा कि न्यायालय सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा कारित किए गए कई अपराधों के लिए अधिनिर्णीत करने का विनिश्चय करे, जब कारावास के रूप में हों तब, यदि न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार से यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे । धारा 31 की उपधारा (2) के वाचन मात्र से यह दर्शित होता है कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को केवल इस कारण उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, परंतु यह भी कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति चौदह वर्ष से अधिक की

अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा और संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है । **ओ. एम. चेरियन** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने धारा 31(1) का निर्वचन करते हुए यह घोषित किया कि यदि किसी सिद्धदोष व्यक्ति पर दो आजीवन कारावास के दंडादेश अधिरोपित किए जाते हैं तो न्यायालय को आवश्यक रूप से यह निदेश देना चाहिए कि वे दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । न्यायालय ने यह कहा :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31(1) में यह आदिष्ट है कि न्यायालय द्वारा उस क्रम को, जिसमें एक विशिष्ट दंडादेश दूसरे दंडादेश के पर्यवसान के पश्चात् चलेगा, विनिर्दिष्ट करने का निदेश भी दिया जाए । कठिनाइयां तब पैदा होती हैं जब न्यायालय आजीवन कारावास के दंडादेश के साथ-साथ नियत अवधि के कारावास के दंडादेश भी अधिरोपित करते हैं । ऐसे मामलों में यदि न्यायालय यह निदेश नहीं देता है कि दंडादेश साथ-साथ चलेंगे, तब दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31(1) के प्रवर्तन द्वारा क्रमवर्ती चलेंगे । यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि दोषसिद्ध व्यक्ति पहले आजीवन कारावास का दंडादेश भोगे और उसके पश्चात् नियत अवधि के कारावास के दंडादेश भोगे और ऐसा कोई निदेश करना अव्यवहारिक होगा । चूंकि आजीवन कारावास के दंडादेश से अभिप्राय दोषसिद्ध व्यक्ति के सामान्य जीवन का अंत होने तक कारागार में रहना है, इसलिए नियत अवधि के कारावास का दंडादेश आवश्यक रूप से आजीवन कारावास के दंडादेश के साथ-साथ चलना चाहिए । ऐसी दशा में, यह उचित होगा यदि सेशन न्यायाधीश दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश जारी करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें । इसी प्रकार, यदि दोषसिद्ध व्यक्ति पर दो आजीवन कारावास अधिरोपित किए जाते हैं, तो न्यायालय को आवश्यक रूप से उन दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश देना चाहिए ।"

8. **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ का विनिश्चय इसी आशय का है जिसमें इस न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि आजीवन कारावास से अभिप्राय जीवनभर का कारावास है, इसलिए एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामले में क्रमवर्ती दंडादेश अधिनिर्णीत करने

का प्रश्न ही नहीं है । इस न्यायालय ने धारा 31 की उपधारा (2) के परंतुक का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई व्यक्ति कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जिनमें ऐसा अपराध भी है जिसके लिए आजीवन कारावास दिया जा सकता है, वहां धारा 31(2) का परंतुक ऐसे दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने के लिए निषिद्ध करेगा ।

9. उपरोक्त दो निर्णयों से यह प्रतीत होता है कि आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती न चलने का तर्क इस वास्तविकता में निहित है कि आजीवन कारावास से विवक्षित सिद्धदोष व्यक्ति के सामान्य जीवन के अंत तक कारावास है । यदि यह प्रतिपादना युक्तिसंगत है तो **ओ. एम. चेरियन** (उपरोक्त) और **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों के विनिश्चयाधारों में अंतर्निहित तर्क भी समान रूप से युक्तिसंगत हैं । इसके बाद जिस बात की परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या आजीवन कारावास से विवक्षित वास्तव में सिद्धदोष व्यक्ति के सामान्य जीवन के अंत तक का कारावास है, जैसा कि **ओ. एम. चेरियन** (उपरोक्त) और **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाले मामलों में मत व्यक्त किया गया है । हमारी सुविचारित राय में, अब यह प्रश्न अनिर्णीत नहीं रह गया है और इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए अनेक विनिश्चयों में इस प्रश्न की परीक्षा की गई है और सकारात्मक उत्तर दिया गया है । इस प्रक्रम पर हमारे लिए उन कुछ विनिश्चयों को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा ।

10. **गोपाल विनायक गोडसे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास से दंडादिष्ट कैदी अपना शेष जीवन कारागार में बिताने के लिए तब तक आबद्ध है जब तक कि समुचित प्राधिकारी द्वारा दंडादेश का लघुकरण या परिहार नहीं किया जाता है ।

11. **दलबीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया :–

> “ …….आजीवन कारावास से यथार्थ रूप से मनुष्य के समस्त जीवन का कारावास अभिप्रेत है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह 10 से 14 वर्ष की कालावधि के कारावास की कोटि में आता है जो कि

---

[1] [1961] 3 एस. सी. आर. 440.

[2] [1980] 2 उम. नि. प. 1045 = (1979) 3 एस. सी. सी. 745.

सिद्धदोष करने वाले न्यायालय के विकल्प पर इस शर्त के अधीन हो सकेगा कि आजीवन कारावास तब तक बना रहेगा जब तक कि जीवन चलता रहता है, जहां हत्या संबंधी अपराध व्यसन के आपराधिक संकेत मिलते हों और समाज इस जोखिम में न रह सकता हो कि वह सिद्धदोष व्यक्ति खुले आम घूमता रहे ।"

12. पुनः, **पंजाब राज्य** बनाम **जोगिन्द्र सिंह**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि दंडादेश "आजीवन करावास" का है तो सिद्धदोष व्यक्ति को अपना शेष जीवन कारावास में बिताना होगा जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिहार प्रदान नहीं किया जाता है ।

13. **माडू राम** बनाम **भारत संघ और अन्य**[2] वाले मामले में भी इस न्यायालय ने **गोडसे** (उपरोक्त) वाले मामले का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास कैदी की अंतिम सांस तक चलता है और उपार्जित परिहारों की समयावधि कुछ भी हो, कैदी रिहाई का दावा केवल तभी कर सकता है यदि शेष कारावासों का सरकार द्वारा परिहार किया जाता है । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

"हम **गोडसे** वाले मामले का यह अभिनिर्धारित करने के लिए अनुसरण करते हैं कि आजीवन कारावास अंतिम सांस तक चलता है और उपार्जित परिहार का काल कुछ भी हो, कैदी रिहाई का दावा केवल तभी कर सकता है यदि सरकार द्वारा शेष कारावास का परिहार कर दिया जाता है ।"

14. **अशोक कुमार** उर्फ **गोलू** बनाम **भारत संघ**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के पास फिर "आजीवन करावास" अभिव्यक्ति के सही अर्थ और तात्पर्य की परीक्षा करने का एक अन्य अवसर आया और यह घोषित किया कि जब इस अभिव्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 45 को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाए, तो इसका साधारणतया अर्थ जीवन के संपूर्ण जीवनकाल का कारावास है । इस संबंध में निम्नलिखित उद्धरण उपयुक्त है :–

---

[1] (1992) 2 एस. सी. सी. 661.
[2] (1981) 1 एस. सी. सी. 107.
[3] (1991) 3 एस. सी. सी. 498.

"12. * * * * *

'आजीवन कारावास' अभिव्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 45 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए । इस उपबंध के अधीन 'जीवन' शब्द तब तक मानव जीवन का द्योतक है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न होता हो । हमने यह पाया है कि दंडों को धारा 53 में वर्णित किया गया है और आजीवन कारावास उनमें से एक है । इसे धारा 45 को ध्यान में रखते हुए पढ़ने पर इसका साधारणतया अर्थ संपूर्ण जीवनकाल के लिए कारावास है । ......"

15. **लक्ष्मण नस्कर** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय इसी आशय का है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास जीवनभर के कारावास से कुछ भी कम नहीं है, यद्यपि परिहार उपार्जित करके आजीवन कारावास से दोषसिद्ध व्यक्ति 20 वर्ष का कारावास पूर्ण करने से पूर्व, जिसमें उपार्जित परिहार भी सम्मिलित हैं, समय-पूर्व रिहाई के लिए याचना कर सकता है ।

16. **सुभाष चन्द्र** बनाम **कृष्ण लाल**[2], **श्री भगवान** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] और **स्वामी शरदानंद** बनाम **कर्नाटक राज्य**[4] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों के प्रति भी निर्देश किया जा सकता है और इन विनिश्चयों में भी इस न्यायालय के पूर्व उल्लिखित विनिश्चयों द्वारा स्थिर की गई विधिक स्थिति को दोहराया गया है । **भारत संघ** बनाम **श्रीहरण**[5] वाले मामले में भी हाल ही में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के पास इस विषय पर निर्णयज विधि का पुनर्विलोकन करने का एक अन्य अवसर आया । **संभाजी कृष्ण**, **रतन सिंह**, **माडू राम** (उपरोक्त) और **रंजीत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

"यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने यथा उपरोक्त मत व्यक्त करते हुए इस विधिक स्थिति की अभिपुष्टि की है कि आजीवन कारावास से केवल अभिप्राय संपूर्ण जीवन के लिए कारावास है जब

---

[1] (2000) 2 एस. सी. सी. 595.
[2] (2001) 4 एस. सी. सी. 458.
[3] (2001) 6 एस. सी. सी. 296.
[4] (2008) 13 एस. सी. सी. 767.
[5] (2015) 13 स्केल 165.

> तक इसे समुचित सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या कार्यपालिका के मुखिया अर्थात् क्रमशः राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन विधिमान्य रूप से अनुदत्त परिहारों द्वारा कम नहीं कर दिया जाता है ।"

17. इस प्रकार, यह विधिक स्थिति भली-भांति सुस्थिर है कि आजीवन कारावास अपराधी के शेष जीवन के लिए कारावास होता है, जब तक कि वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शेष कारावास का लघुकरण या परिहार नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के उपबंधों का ऐसा निर्वचन किया जाना चाहिए जिससे कि यह इस मूलभूत सिद्धांत के संगत हो कि आजीवन कारावास में अपराधी से यह अपेक्षित होता है वह अपना शेष जीवन कारागार में बिताए । ऐसा कोई निदेश जिसमें अपराधी से एक के बाद दूसरा आजीवन कारावास भुगतने की अपेक्षा की जाती है, वह असंगत और अविवेकी होगा, क्योंकि इससे इस वास्तविकता को अनदेखा करना होगा कि मानव के पास अन्य सभी जीवित प्राणियों की तरह ही जीने के लिए केवल एक जीवन होता है । धारा 31(1) को इस प्रकार समझने पर दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने की अनुज्ञा केवल तभी होगी यदि ऐसे दंडादेश आजीवन कारावास नहीं हैं । हमारी राय में, केवल यही एक तरीका है जो किसी कैदी को दो क्रमवर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश भोगने की स्पष्ट संभाव्यता से बचा सकता है ।

18. **रंजीत सिंह** बनाम **संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष कुछ इसी प्रकार का प्रश्न विचार के लिए आया । उस मामले में कैदी को हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । उसे आजीवन कारावास भुगतते हुए जब परोल पर रिहा किया गया था, तब उसने हत्या का दूसरा अपराध किया और उसके लिए भी उसे आजीवन कारावास भुगतने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । दूसरी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील में इस न्यायालय द्वारा तारीख 30 सितम्बर, 1983 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया गया कि उसे दिया गया आजीवन कारावास उसके पूर्ववर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश के साथ-साथ नहीं चलना चाहिए । न्यायालय ने यह

---

[1] (1991) 4 एस. सी. सी. 304.

निदेश दिया कि कैदी को दिए गए पूर्ववर्ती दंडादेश के परिहार या लघुकरण की स्थिति में उसके द्वारा कारित की गई दूसरी हत्या के लिए दिया गया आजीवन कारावास प्रारंभ हो जाएगा । कैदी ने उक्त निदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा उसे अधिनिर्णीत द्वितीय आजीवन कारावास को क्रमवर्ती बनाया गया था, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक रिट याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर फाइल की कि इस न्यायालय का तारीख 30 सितम्बर, 1983 का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427(2) के प्रतिकूल है, जिसके अनुसार पहले से ही आजीवन कारावास भुगत रहे किसी व्यक्ति को यदि आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब पश्चात्‌वर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा । इस न्यायालय ने **गोडसे** (उपरोक्त) और **माडू राम** (उपरोक्त) वाले मामलों का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास अपराधी के शेष बचे जीवन के लिए कारावास है । इसलिए धारा 427 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट साधारण नियम के अनुसार पश्चात्‌वर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश का क्रमवर्ती चलने का प्रश्न ही नहीं है । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

> "8. * * * * *
>
> जैसी कि श्री गर्ग द्वारा ठीक ही दलील दी गई है, और श्री ललित द्वारा विवादग्रस्त नहीं की गई है, कि पूर्ववर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश का अर्थ शेष जीवन कारागार में बिताने वाले दंडादेश के रूप में समझा जाता है, जब तक कि समुचित प्राधिकारी द्वारा इसका लघुकरण या परिहार नहीं कर दिया जाए और व्यक्ति के पास केवल एक जीवनकाल होता है, इसलिए किसी पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि या आजीवन कारावास का दंडादेश पूर्ववर्ती आजीवन कारावास के ऊपर अधिरोपित किया जा सकता है और इसे निश्चित रूप से उसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, चूंकि अपराधी के जीवनकाल को बढ़ाना मानव की शक्ति या इस विषय के लिए किसी की शक्ति के बाहर की बात है । इसी स्पष्ट स्थिति का धारा 427 की उपधारा (2) में उल्लेख किया गया है, चूंकि इस धारा की उपधारा (1) में प्रतिपादित साधारण नियम यह है कि न्यायालय के निदेश के बिना पश्चात्‌वर्ती दंडादेश साथ-साथ नहीं अपितु क्रमवर्ती चलेगा । वह एकमात्र स्थिति, जिसमें पश्चात्‌वर्ती दंडादेश को पूर्ववर्ती दंडादेश के साथ-साथ चलने के लिए न्यायालय को निदेश देने की

आवश्यकता नहीं है, उपधारा (2) में उपबंधित है जिसे उपधारा (1) पर आधारित ऐसे किसी संभाव्य संविवाद से बचने के लिए अधिनियमित किया गया है, जब यदि इस आशय का न्यायालय द्वारा कोई अभिव्यक्त निदेश न दिया गया हो । उपधारा (2), उपधारा (1) में अधिनियमित इस साधारण नियम के अपवाद की प्रकृति की है कि पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दिया गया दंडादेश, जब तक न्यायालय यह निदेश न दे कि यह प्रथम दंडादेश के साथ-साथ चलेगा, यह प्रथम दंडादेश के पर्यवसान के पश्चात् प्रारंभ होगा । अतः, धारा 427 की उपधारा (1) और (2) का अर्थ और प्रयोजन तथा उपधारा (2) का अधिनियमित करने का उद्देश्य स्पष्ट है ।"

19. उक्त मत व्यक्त करते हुए इस न्यायालय ने यह घोषित किया कि जब कैदी को दिया गया पश्चात्वर्ती आजीवन कारावास पूर्ववर्ती आजीवन कारावास के ऊपर अधिरोपित किया जाता है तो कैदी को पूर्ववर्ती आजीवन कारावास के संबंध में अनुदत्त किसी परिहार या लघुकरण से पश्चात्वर्ती आजीवन कारावास के संबंध में स्वतः फायदा प्राप्त नहीं हो जाएगा । ऐसा पश्चात्वर्ती कारावास जारी रहेगा और पूर्ववर्ती कारावास के परिहार और लघुकरण से अप्रभावित बना रहेगा । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

"* * * * *

दूसरे शब्दों में, एक के ऊपर दूसरा अधिरोपित पश्चात्वर्ती आजीवन कारावास का दंडादेश केवल इस कारण समाप्त नहीं हो जाएगा कि समरूपी आजीवन करावास के पूर्ववर्ती दंडादेश के संबंध में समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई परिहार या लघुकरण प्रदान किया गया है । इसका परिणाम यह है कि याची को अपने पूर्ववर्ती दंडादेश के परिहार या लघुकरण का कोई व्यावहारिक फायदा उसके पूर्ववर्ती आजीवन कारावास के ऊपर पश्चात्वर्ती आजीवन कारावास अधिरोपित होने के कारण तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि याची को उसी प्रकार का समरूपी फायदा पश्चात्वर्ती दंडादेश की बाबत भी प्रदान नहीं किया जाता है ।"

20. **रंजीत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में जिस तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया था, वह प्रस्तुत मामले में हम जिस तथ्यात्मक स्थिति पर विचार कर रहे हैं, उससे निस्संदेह भिन्न है, क्योंकि **रंजीत सिंह**

(उपरोक्त) वाला मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के अंतर्गत आता था क्योंकि उस मामले में कैदी ने जब दूसरी हत्या कारित की और जिसके लिए उसकी दोषसिद्धि हुई तथा दूसरा आजीवन कारावास दिया गया उस समय वह पहले से ही आजीवन कारावास भुगत रहा था । प्रस्तुत मामलों में अपीलार्थी उनके द्वारा अनेक हत्याएं कारित करने के समय आजीवन कारावास भुगत रहे सिद्धदोष व्यक्ति नहीं थे । इसलिए उनके मामले अधिक समुचित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के अंतर्गत आते हैं जो एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में है । धारा 31(1) में, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय को ऐसे अपराधों के लिए विहित दंड अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त किया गया है और यह आज्ञापक किया गया है कि जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हों तब, यदि न्यायालय ने यह निदेश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ-साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निदेश दे । अपराधियों द्वारा कारित किए गए कई अपराधों के लिए उपयुक्त दंडादेश देने की शक्ति विवादग्रस्त नहीं है और न ही की जा सकती है । न्यायालय द्वारा ऐसे दंडादेश अधिनिर्णीत करते समय वह क्रम, जिसमें ऐसे दंडादेश भोगे जाएंगे, अनुबंधित किया जा सकता है । इसी प्रकार न्यायालय अपने विवेक से यह निदेश देने के लिए भी सक्षम है कि अधिनिर्णीत दंडादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे न कि क्रमवर्ती । तथापि, प्रश्न यह है कि क्या इस उपबंध के अधीन क्रमवर्ती भोगे जाने वाला एक से अधिक आजीवन कारावास दिया जा सकता है । इस प्रश्न का उत्तर तर्कसंगत आधार पर केवल तभी दिया जा सकता है जब इस वास्तविकता को स्वीकार किया जाए कि मानवों के पास केवल एक जीवन होता है और एक बार दिया गया आजीवन कारावास का दंडादेश कैदी से यह अपेक्षा करता है कि वह अपना शेष जीवन कारागार में बिताए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडादेश का परिहार या लघुकरण नहीं कर दिया जाता है । हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427(2) में यह जो आज्ञापक किया गया है कि यदि पहले से ही आजीवन कारावास भुगत रहे कैदी को किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक अन्य आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है तो इस प्रकार अधिनिर्णीत दोनों दंडादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे न कि क्रमवर्ती, इसके पीछे यही तर्क है । धारा 427(2) में इस रीति में धारा 427(1) में मान्यताप्राप्त इस साधारण नियम का अपवाद उपबंधित है कि किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्धि पर अधिनिर्णीत दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । धारा 427(2) के

उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि वह विसंगति पूरी तरह से संसद् के संज्ञान में थी जो आजीवन कारावास भुगत रहे किसी सिद्धदोष कैदी को दूसरी बार आजीवन कारावास भुगतने का निदेश देने पर उद्भूत होगी । इसलिए साधारण नियम का एक अपवाद स्पष्ट रूप से यह मान्यता देते हुए उपबंधित किया गया कि पृथक्-पृथक् रूप से विचारित और साबित ठहराए गए दो भिन्न अपराधों के लिए दिए गए आजीवन कारावास के मामले में दंडादेशों का क्रमवर्ती भोगने के लिए निदेश नहीं दिया जा सकता है । धारा 427(2) के उपबंधों के अतिरिक्त, **रंजीत सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने प्रमिततः यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि आजीवन कारावास से सिद्धदोष व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास विवक्षित है, इसलिए क्रमवर्ती आजीवन कारावास अधिनिर्णीत नहीं किया जा सकता है क्योंकि मानवों के पास केवल एक ही जीवन होता है । हमारे मत में, यह तर्क दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 पर भी विस्तारित होना चाहिए और यह बात मायने नहीं रखती कि धारा 31 में प्रमिततः धारा 427(2) के समरूप कोई उपबंध नहीं है । हमारी राय में, इस उपबंध का इस प्रकार निर्वचन किया जाना चाहिए जिससे कि किसी विसंगति या तर्कहीनता को निवारित किया जा सके । धारा 31(1) का इस प्रकार निर्वचन किए जाने पर यह अर्थ होना चाहिए कि कैदी द्वारा कारित किए गए कई अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश नहीं दे) सिवाय वहां के जहां ऐसे दंडादेशों में आजीवन कारावास का दंडादेश सम्मिलित है जो साथ-साथ भोगे जा सकते हैं और भोगे जाने चाहिएं । हम यह भी अभिनिर्धारित करना चाहेंगे कि यदि कैदी को एक से अधिक आजीवन कारावास के दंडादेश दिए जाते हैं, तो वे एक-दूसरे पर अधिरोपित हो जाएंगे । इससे यह विवक्षित होगा कि यदि कैदी को ऐसे एक दंडादेश के संबंध में कोई परिहार या लघुकरण अनुदत्त किया जाता है तो ऐसे परिहार का फायदा स्वतः दूसरे दंडादेश पर विस्तारित नहीं होगा ।

21. अब हम निर्देश में उल्लिखित एक ओर **चेरियन** (उपरोक्त) और **दुर्योधन** (उपरोक्त) वाले मामलों में और दूसरी ओर **कमलनंथा** (उपरोक्त) और **सनौल्हा खान** (उपरोक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों के बीच विरोध पर विचार करेंगे ।

22. **ओ. एम. चेरियन** (उपरोक्त) वाले मामले में कैदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए

दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था । निचले न्यायालयों ने उस मामले में दोषसिद्ध व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दो वर्ष का कारावास और धारा 306 के अधीन सात वर्ष का कारावास दिया था और उन्हें क्रमवर्ती भोगने का निदेश दिया था । कैदियों ने उक्त निदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील की और यह दलील दी कि उन्हें दिए गए दंडादेश साथ-साथ चलने चाहिएं न कि क्रमवर्ती । वह अपील **मोहम्मद अख्तर हुसैन** उर्फ **इब्राहिम अहमद भाट्टी** बनाम **सहायक समाहर्ता सीमा-शुल्क (निवारण), अहमदाबाद और एक अन्य**[1] वाले मामले को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट की गई । कैदियों ने बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष **मोहम्मद अख्तर हुसैन** (उपरोक्त) और **मनोज** उर्फ **पानु** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामलों का यह दलील देने के लिए अवलंब लिया कि चूंकि कैदी एक ही घटना के अनुक्रम में कारित किए गए दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी पाए गए हैं, इसलिए ऐसे दंडादेश साथ-साथ चलने चाहिएं । इस न्यायालय ने इस विषय पर निर्णयज विधि का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में न्यायालय को स्वविवेकानुसार यह आदेश करने की शक्ति निहित की गई है कि दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्धि की दशा में दिए गए दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । इस न्यायालय ने यह उद्घोषित किया कि न्यायालयों द्वारा ऐसे विवेक का प्रयोग करने के लिए कोई कठोर नियम अधिकथित करना कठिन है । कोई दंडादेश साथ-साथ चलना चाहिए या क्रमवर्ती, यह अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । यही कहा जा सकता है कि विवेक का प्रयोग न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए न कि यंत्रवत । यह कहने के पश्चात्, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि किसी दोषसिद्ध व्यक्ति पर दो आजीवन कारावास अधिरोपित किए जाते हैं तो न्यायालय के लिए यह निदेश देना आवश्यक है कि दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । कारण यह है कि क्योंकि आजीवन कारावास से अभिप्रेत दोषसिद्ध व्यक्ति के सामान्य जीवन के अंत तक कारावास है ।

23. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **चेरियन** (उपरोक्त) वाले मामले में कैदी को दो या अधिक आजीवन कारावास दिए जाने की बात

---

[1] (1988) 4 एस. सी. सी. 183.

[2] (2014) 2 एस. सी. सी. 153.

अंतर्वलित नहीं है । यह मामला एक ही घटना के अनुक्रम में कारित किए गए और एक ही विचारण में एक-साथ विचारित दो भिन्न अपराधों के लिए दो अलग-अलग अवधि के दंडादेश अधिनिर्णीत किए जाने का था । फिर भी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलना नहीं बनाया जा सकता है और इसका स्पष्ट कारण यह है कि क्योंकि आजीवन कारावास के एक ही दंडादेश में यह सुनिश्चित होता है कि कैदी द्वारा अपना शेष जीवन कारागार में बिताया जाए । ऐसी स्थिति में, ऐसा द्वितीय दंडादेश क्रमवर्ती भोगे जाने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता ।

24. **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाले मामले में कैदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2)(च) और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और हत्या के लिए मृत्यु दंडादेश तथा धारा 376(2)(च) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की अवधि का कारावास इस निदेश के साथ अधिनिर्णीत किया गया था कि दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । अपील में उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और शेष कारावासों से कोई छेड़छाड़ नहीं की । इसके पश्चात् याची ने इस न्यायालय में समावेदन किया और यह दलील दी कि दंडादेश साथ-साथ चलने चाहिएं न कि क्रमवर्ती, जैसा कि निचले न्यायालयों द्वारा निदेश दिया गया है । **गोपाल विनायक** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय और इस विषय पर कई अन्य पश्चात्वर्ती विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आजीवन कारावास के दंडादेश से अभिप्रेत है कैदी के शेष बचे जीवन के लिए कारावास । इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 आजीवन कारावास के दंडादेश और आवधिक दंडादेश को क्रमवर्ती चलने की अनुज्ञा नहीं देती चूंकि याची का सकल दंड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31(2) के परंतुक में अनुबंधित 14 वर्ष की बाह्य सीमा के परे हो जाएगा । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधों की दोषसिद्धि के मामले में दंडादेश के संबंध में है । धारा 31 की उपधारा (2) के परंतुक में यह रोक अधिकथित है कि कैदी को दिया गया सकल दंड 14 वर्ष से अधिक अवधि का तो नहीं है । इस

वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि आजीवन कारावास से अभिप्रेत जीवन के संपूर्ण काल के लिए कारावास है, इसलिए एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामले में क्रमवर्ती दंडादेशों का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता । इसलिए, यदि कोई व्यक्ति कई अपराधों के लिए दंडादिष्ट किया जाता है, जिनमें आजीवन कारावास भी एक है, तो धारा 31(2) का परंतुक लागू होगा और कोई क्रमवर्ती दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।"

25. जब हमें इस प्रतिपादना की सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है कि दो आजीवन कारावासों को क्रमवर्ती चलने का निदेश नहीं दिया जा सकता है, हम नहीं समझते कि ऐसा कहने के जो कारण हैं वह धारा 31(2) के परंतुक में स्थित हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31(2) उन परिस्थितियों के संबंध में है जहां न्यायालय क्रमवर्ती दंडादेश अधिनिर्णीत करते हुए उन कई अपराधों के लिए संकलित दंड अधिनिर्णीत करने के लिए सक्षम नहीं है, जिनके लिए दोषसिद्ध करने पर कैदी को दिया जा रहा हो । उपधारा (2) से यह दर्शित होता है कि इस उपधारा का संबंध केवल उन परिस्थितियों से है जहां न्यायालय दंडादेश अधिनिर्णीत करते हुए और उन्हें क्रमवर्ती चलने का निदेश देते हुए एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर संकलित दंड अधिनिर्णीत करने के लिए सक्षम नहीं है । इस परंतुक में यह भी अनुबंधित है कि उपधारा (2) के अधीन आने वाले मामलों में दंडादेश किसी भी दशा में चौदह वर्ष से अधिक नहीं होगा और संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है । अब, सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले मामलों में विधि द्वारा स्वीकृत कोई भी दंड, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित है, देने की न्यायालय की शक्ति के बारे में कोई सीमा नहीं है । इसलिए उपधारा (2) सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले मामले पर लागू नहीं होगी और न ही उपधारा (2) सेशन न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश देने में आड़े आएगी ।

26. **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाले मामले में इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कि दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश देना अननुज्ञेय है उपधारा (2) के परंतुक का जिस सीमा तक अवलंब लिया है, उस सीमा तक यह सही विधि नहीं है, यहां तक कि यह निष्कर्ष होने पर भी कि आजीवन कारावास से अभिप्राय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल के लिए कारावास है और क्रमवर्ती आजीवन दंडादेशों को अन्यथा ठोस और स्वीकार्य

होने पर भी अधिनिर्णीत नहीं किया जा सकता है ।

27. **कमलनंथा और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में कैदियों को भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ-साथ धारा 376, 302 और 354 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और धारा 376 तथा 302 के अधीन अपराधों के लिए कठोर आजीवन कारावास से और अन्य अपराधों के लिए विभिन्न अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और यह निदेश दिया गया था कि दिए गए दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । अपील के समर्थन में उठाए गए विवाद्यकों में से एक विवाद्यक यह था कि निचले न्यायालयों ने क्रमवर्ती आजीवन कारावास के दंडादेश अधिनिर्णीत करके न्यायोचित नहीं किया है । इस दलील को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा निम्नलिखित शब्दों में नामंजूर कर दिया गया था :–

> "श्री जेठमलानी की यह दलील अस्वीकार्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में उपबंधित 'कारावास' पद में आजीवन कारावास सम्मिलित नहीं है । 'कारावास' पद को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है । संहिता की धारा 31 संहिता के अध्याय 3 के अंतर्गत आती है जो न्यायालयों की शक्ति के संबंध में है । संहिता की धारा 28 उच्च न्यायालय को विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करने के लिए सशक्त करती है । इसी प्रकार, सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकते हैं सिवाय मृत्यु दंडादेश के, जो उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि के अध्यधीन होगा । हमारी राय में, 'कारावास' पद में आजीवन कारावास का दंडादेश सम्मिलित है ।"

28. उपरोक्त दृष्टिकोण **चेरियन** (उपरोक्त) और **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रतिकूल है । इसके अतिरिक्त, **कमलनंथा** (उपरोक्त) वाले मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण में इस मूलभूत आधार को ध्यान में नहीं रखा गया था कि आजीवन कारावास का दंडादेश अधिनिर्णीत किए जाने पर इससे यह विवक्षित होगा कि कैदी अपना शेष जीवन कारागार में बिताएगा । ऐसा होने पर उसके द्वारा एक अन्य आजीवन कारावास भोगने का प्रश्न ही नहीं है । इस सीमा तक **कमलनंथा** (उपरोक्त) वाले मामले के विनिश्चय में यह मत

---

[1] (2005) 5 एस. सी. सी. 194.

अपनाया गया है कि न्यायालय प्रत्येक अपराध के लिए उपयुक्त दंड दे सकता है जिसमें मृत्यु से दंडनीय अनेक अपराधों के लिए आजीवन कारावास के दंडादेश सम्मिलित हो सकते हैं, इस मत का कथित प्रतिपादना के साथ कोई विरोध नहीं है और न ही हो सकता है । न्यायालय विधि द्वारा मंजूर दंडादेश, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास का दंडादेश भी है, अधिनिर्णीत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और वास्तव में करना चाहिए । किंतु, यदि **कमलनंथा** (उपरोक्त) वाले मामले के विनिश्चय का तात्पर्य यह अभिनिर्धारित करना था कि आजीवन कारावास के दंडादेश भी क्रमवर्ती चलने के लिए निदेशित किए जा सकते हैं, तो यह विनिश्चय हमारे द्वारा ऊपर पहले ही उपदर्शित कारणों से सटीक प्रतीत नहीं होता है । हमें यह स्मरण रखना होगा कि आजीवन करावास के अनेक दंडादेश अधिनिर्णीत करने, ताकि एक के बाद दूसरा दंडादेश अधिरोपित हो जाए, और ऐसे दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश देने से पूर्णतः भिन्न है ।

29. **सनौल्हा खान** बनाम **बिहार राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में स्पष्ट रूप से **कमलनंथा** (उपरोक्त) वाले मामले का अनुसरण किया गया है और इसलिए ऐसा कोई नया आयाम नहीं जुड़ा है जिससे इस विषय पर किसी और चर्चा की आवश्यकता हो ।

30. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि इस न्यायालय ने कई अन्य मामलों में कैदी द्वारा कारित किए गए अपराध की नृशंस और पैशाचिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने को निदेश दिए हैं । उदाहरण के लिए, **रविन्द्र त्रिम्बक चौथमल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास में लघुकरण करते हुए यह निदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 207 के अधीन दिया गया सात वर्ष का कठोर कारावास आजीवन कारावास की सम्यक् अवधि भोगे जाने के पश्चात् चलना आरंभ होगा । इसी प्रकार, **रोनी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में भी इस न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में तब्दील करते हुए यह निदेश दिया कि अन्य सभी अपराधों के लिए दिए गए दंडादेश साथ-साथ चलेंगे, जबकि धारा 376(2)(छ) के अधीन दिया गया दंडादेश अन्य अपराधों के

---

[1] (1996) 4 एस. सी. सी. 148.

[2] (1998) 3 एस. सी. सी. 625.

लिए दिए गए दंडादेशों के चलने के पश्चात् क्रमवर्ती चलेगा । इन विनिश्चयों से यह अभिनिर्धारित किया गया समझा जा सकता है कि आजीवन कारावास भी क्रमवर्ती चल सकता है और इस सीमा तक ये विनिश्चय सही विधि अधिकथित नहीं करते हैं और उलटे जाते हैं ।

31. निष्कर्षतः, हम प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते हैं । हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जबकि अनेक हत्याओं या आजीवन कारावास से दंडनीय अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास के अनेक दंडादेश अधिनिर्णीत किए जा सकते हैं, किंतु इस प्रकार अधिनिर्णीत आजीवन कारावास के दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश नहीं दिया जा सकता है । तथापि, ऐसे दंडादेश एक-दूसरे के ऊपर अधिरोपित होंगे ताकि एक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त कोई परिहार या लघुकरण कैदी को अन्य मामले में दिए गए दंडादेश के लिए स्वतः परिहार न हो सके ।

32. हम विलग होते हुए इस मामले के एक अन्य आयाम, जिसकी हमारे समक्ष दलील दी गई है पर विचार कर सकते हैं अर्थात् क्या न्यायालय आजीवन कारावास के दंडादेश और आवधिक दंडादेशों को क्रमवर्ती चलने का निदेश दे सकता है या नहीं । इस पहलू पर दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है कि अपीलार्थियों को आजीवन कारावास अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त विभिन्न अवधियों के कारावास के लिए भी दंडादिष्ट किया गया है । विचारण न्यायालय का निदेश, जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, यह है कि उक्त आवधिक दंडादेश क्रमवर्ती चलेंगे । अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई कि निदेश का यह भाग भी वैध रूप से तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जब एक बार कैदी को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट कर दिया जाता है, तो उसे दिए गए आवधिक कारावास अवश्य साथ-साथ चलने चाहिएं । तथापि, हम ऐसा नहीं मानते । उस क्रम का निदेश करने की न्यायालय की शक्ति, जिसमें दंडादेश चलेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए अचुनौतीपूर्ण है । इसलिए न्यायालय विधिसम्मत रूप से यह निदेश दे सकता है कि कैदी अपना आजीवन कारावास प्रारंभ होने से पूर्व पहले आवधिक दंडादेश भुगतेगा । ऐसा निदेश पूर्णतः विधिसम्मत और धारा 31 के अनुरूप होगा । तथापि, इसके प्रतिकूल स्थिति सही नहीं हो सकेगी क्योंकि यदि न्यायालय आजीवन कारावास को पहले आरंभ होने का निदेश देता है तो इससे आवश्यक रूप से यह विवक्षित होगा कि आवधिक दंडादेश

साथ-साथ चलेगा । क्योंकि एक बार जब कैदी अपना जीवन कारागार में बिता देता है तो उसके द्वारा कोई और दंडादेश भुगतने का प्रश्न ही नहीं है । निचले न्यायालय के निदेश में किसी उपांतरण या परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, ऐसा विषय है जिससे हमारा सरोकार नहीं है । अपीलों की सुनवाई कर रही नियमित न्यायपीठ हमने पूर्वगामी पैराओं में जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए मामले के इस पहलू पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

33. तद्नुसार, निर्देश का उत्तर दिया जाता है ।

निर्देश का उत्तर दिया गया ।

जस.